बिहार शिक्षा परियोजना, नालन्दा
नालन्दा कॉलेजिएट स्कूल,
गढ़पर,नालन्दा–803101

Bihar Education Project, Nalanda
Nalanda Collegiate School,
Garhpar, Nalanda-803101

(6)

पत्रांकः SSA/MGT/..2915 दिनांक..07...../ 09 / 2026

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा० शि० एवं समग्र शिक्षा, नालन्दा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, सचिवालय, नेहरू पथ,
बिहार, पटना–800015

विषय– बिहार शिक्षा परियोजना, नालन्दा के कार्यालय वाहन हेतु निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि बिहार शिक्षा परियोजना, शिक्षा विभाग, नालन्दा के कार्यालय उपयोगार्थ वाहन की आवश्यकता हेतु समाचार पत्र के माध्यम से निविदा का प्रकाशन किया जाना है।

अतएव भवदीय से सादर अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न निविदा के प्रारूप का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं अन्य लोकप्रिय समाचार पत्रों (बिहारशरीफ/नालन्दा संस्करण) में अतिशीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

07/09/26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा० शि० एवं समग्र शिक्षा, नालन्दा

(3)

बिहार सरकार–शिक्षा विभाग, नालन्दा

बिहार शिक्षा परियोजना, नालन्दा

भाड़े पर वाहन हेतु निविदा का आमंत्रण

निविदा सं0–01/2026–27

बिहार शिक्षा परियोजना (समग्र शिक्षा), नालन्दा के कार्यालय में भाड़े पर चार पहिया वाहन (स्कॉर्पियो, बोलेरो इत्यादि) संचालन हेतु निम्नांकित शर्त्तों के अधीन इच्छुक वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता से निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1. नए वाहन (तीन साल के अन्दर क्रय किया गया) को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. वाहन व्यावसायिक हो तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त हो।
3. वाहन आपूर्त्तिकर्ता/फर्म का GST निबंधन तथा पिछले 03 वर्ष का आयकर रिटर्न होना आवश्यक है।
4. वाहन संबंधी सभी कागजात (वाहन का बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन चालक का अनुज्ञप्ति इत्यादि) अद्यतन होना चाहिए तथा निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. वाहन का संचालन वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजटीय प्रावधान के अनुरूप प्रभावी तिथि से आगामी 11 माह के लिए संचालित होगा।
6. वाहन चालक का सम्पूर्ण खर्च वाहन मालिक के द्वारा व्यय किया जायेगा।
7. वाहन खराब होने की स्थिति में उसके मरम्मति तथा दैनिक रख–रखाव के पूर्ण खर्चा वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा एवं वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा।
8. वाहन औसतन एक माह में ए0सी0 1200 कि0मी0/नॉन ए0सी0 1500 कि0मी0 तक चलेगी।
9. वाहन का मासिक भाड़ा (ईंधन सहित) अधिकतम 35000/– (पैंतीस हजार रुपया) मात्र होगा इससे न्यूनतम दर पर वाहन देने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्धारित मासिक भाड़ा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का व्यय राशि कार्यालय द्वारा न तो वाहन मालिक को और न ही वाहन चालक को भुगतान की जायेगी।
10. वाहन मालिक को सभी प्रकार के वैधानिक कटौती के उपरान्त मासिक भाड़ा का भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन मालिक द्वारा चालक सहित वाहन की सेवा 24 घंटे के लिए अर्थात् पूर्णकालिक उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
12. वाहन उपलब्धता एवं संचालन सेवा संतोषप्रद नहीं होने के स्थिति में वाहन हटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सुरक्षित रहेगा।
13. उक्त निविदा प्रक्रिया में किसी प्रकार की विसंगति होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
14. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में स्थानीय व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट), नालन्दा का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
15. उक्त निविदा की सूचना बिहार शिक्षा परियोजना (समग्र शिक्षा) कार्यालय के वेबसाइट– **www.bepssanalanda.org** पर भी देखा जा सकता है।

उक्त शर्त्तों के अधीन इच्छुक वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता सभी कागजातों के साथ मुहरबन्द लिफाफे में निविदा विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर (अंतिम तिथि 21वें दिन अपराह्न 05:00 बजे तक) अनिवार्य रूप से अपना निविदा कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यालय में प्राप्त निविदा प्रकाशन तिथि के 23वें दिन जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता उपस्थित हो सकते हैं।

20/08/26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा,
बिहार शिक्षा परियोजना, नालन्दा।

21/8/26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।